भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2462

10.12.2024 को उत्तर के लिए नियत

शून्य उत्सर्जन ट्रकों (जेडईटी) का निर्माण

2462. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के परिवहन क्षेत्र में शून्य उत्सर्जन ट्रकों (जेडईटी) की बाजार में संभावित मांग और आपूर्ति का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का जेडईटी के प्रयोग और विनिर्माण को बढ़ाने का लक्ष्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में जेडईटी के विनिर्माण में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जेडईटी विनिर्माण को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ चार्जिंग अवसंरचना का विकास करने हेतु उपाए किए हैं; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2024 की स्थिति के अनुसार इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : भारी उद्योग मंत्रालय ने 29 सितंबर, 2024 को 10,900 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय वाली पीएम ई-ड्राइव स्कीम को अधिसूचित किया, जिसमें से 500 करोड़ रुपए ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन के रूप में आवंटित किए गए हैं।

सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों (ई-ट्रक सहित) के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमता संवर्धन के लिए भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग संबंधी उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 23 सितंबर,2021 को अनुमोदित किया जिसका बजटीय परिव्यय 25,938 करोड़ रूपए था। इस स्कीम में न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन वाले एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है।

(घ) और (ड) : भारी उद्योग मंत्रालय ने ₹10,900 करोड़ के बजटीय परिव्यय वाली पीएम ई-ड्राइव स्कीम को 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया। इस स्कीम में विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की सहायता की परिकल्पना की गई है।

*****